

## कार्यालय— जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर, जिला— जशपुर (छ०ग०)

## —::सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन::—

क्रमांक- 237 / दो-11-01 / 2024

जशपुर, दिनांक—04.03.2024

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि :- 06 / 04 / 2024 संध्या-05:00 बजे तक  
स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक के अथवा स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर।

जिला न्यायालय जशपुर, की स्थापना के अंतर्गत तृतीय श्रेणी (सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी), स्टेनोग्राफर (हिन्दी), सहायक ग्रेड-03 के समकक्ष (साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक, नायब नाजीर, सेल अमीन, प्रतिलिपिकार, सहायक अभिलेखापाल), भूत्य, कोर्ट मैनेजर अमला हेतु स्टेनोग्राफर हिन्दी (संविदा), सहायक ग्रेड-03 (संविदा), भूत्य (संविदा) के निम्नलिखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ ४००८० शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर का पत्र क्र १८६७ / ४५२/२१-ब/४००८०/२०२३, दिनांक – १९.०२.२०२४ के अनुसार प्राप्त अनुमति के तहत अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों से जिला न्यायालय जशपुर, में **दिनांक – ०६.०४.२०२४** की संध्या ०५:०० बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा :–

## सीधी भर्ती हेतु रिक्त पदों का विवरण :-

2. भर्ती की पात्रता एवं शर्तें :-

(1) सहायक प्रोग्रामर पद के लिए

- (अ) वेतनमान :— वेतन मैट्रिक्स के लेवल—9 (38100—120400)
- (ब) यूनिक्स/ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर/विण्डोज एन.टी. में कार्य करने के अनुभव के साथ निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता :—
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान एवं संबंधित विषय में एम.सी.ए./एस.एस.सी./बी.ई./बी.टेक डिग्री।  
अथवा  
मान्यता विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ डी.ओ.ई. से "ए" लेवल कोर्स या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पी.जी.डी.सी.ए. तथा प्रोग्रामिंग/साफ्टवेयर डेव्हलपमेंट में तीन वर्ष का अनुभव।
  2. उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।
  3. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली/स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

(2) स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) पद के लिए

- (अ) वेतनमान :— वेतन मैट्रिक्स के लेवल—7 (28700—91300)
- (ब) शैक्षणिक योग्यता :—
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
  2. मान्यता प्राप्त शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्रलेखन उत्तीर्ण।
  3. कम्प्यूटर में अंग्रेजी मुद्रलेखन का ज्ञान।
  4. कम्प्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी।
  5. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली/स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

(3) स्टेनोग्राफर (हिन्दी) पद के लिए

- (अ) वेतनमान :— वेतन मैट्रिक्स के लेवल—7 (28700—91300)
- (ब) शैक्षणिक योग्यता :—
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
  2. मान्यता प्राप्त शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन उत्तीर्ण।
  3. कम्प्यूटर में हिन्दी मुद्रलेखन का ज्ञान।
  4. कम्प्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी।
  5. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली/स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

**(4) सहायक ग्रेड-03 के समकक्ष (साक्ष्य लेखक , आदेशिका लेखक , नायब नाजीर, सेलअमीन, प्रतिलिपिकार, सहायक अभिलेखापाल) के लिए :-**

(अ) वेतनमान :— वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 (19500–62000)

(ब) शैक्षणिक योग्यता :—

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।
3. कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन का ज्ञान।
4. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली/स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

**(5) भूत्य पद के लिए –**

(अ) शैक्षणिक योग्यता :—

1. किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला अर्थात् कक्षा आठवीं उत्तीर्ण हो।
2. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली/स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

**(6) कोर्ट मैनेजर स्टाफ हेतु पद के लिये –**

**स्टेनोग्राफर हिन्दी (संविदा) कोर्ट मैनेजर स्टाफ हेतु पद के लिए –**

(अ) वेतनमान :—मासिक संविदा वेतन रु. 26490/- मात्र।

(ब) शैक्षणिक योग्यता :—

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. मान्यता प्राप्त शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन उत्तीर्ण।
3. कम्प्यूटर में हिन्दी मुद्रलेखन का ज्ञान।
4. कम्प्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी।
5. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली/स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

**सहायक ग्रेड-03 (संविदा) कोर्ट मैनेजर स्टाफ हेतु पद के लिए –**

(अ) वेतनमान :—मासिक संविदा वेतन रु. 18000/- मात्र।

(ब) शैक्षणिक योग्यता :—

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।
3. कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन का ज्ञान।
4. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली/स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

## **भूत्य (संविदा) कोर्ट मैनेजर स्टाफ हेतु पद के लिए –**

- (अ) **वेतनमान** :—मासिक संविदा वेतन रु. 14400/- मात्र।
- (ब) **शैक्षणिक योग्यता** :—
1. किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला अर्थात् कक्षा आठवीं उत्तीर्ण हो।
  2. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली/स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

### **महत्वपूर्ण** :—

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा कर सकते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हताओं की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी।

### **3.**

#### **आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें** :—

- (1) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (2) कोई पुरुष उम्मीदवार जिसके एक से अधिक पत्नी जीवित है और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु यदि शासन को इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
- (3) उम्मीदवार दिनांक 01.01.2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो, परन्तु 30 वर्ष से अधिक न हो। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों की उम्र 35 वर्ष हो तथा उसमें अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट की अवधि कलेप्डर वर्ष दिनांक – 31.12.2028 की समाप्ति तक के लिए प्रदान की गई है।
- (4) छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर क्रमांक एफ 3-2 / 2015 / 1-3, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 30.01.2019 के अनुसार अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु सभी छूट को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (5) आवेदक किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।
- (6) भूतपूर्व सैनिक हेतु विज्ञापित पद में योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने की स्थिति में राज्य भूतपूर्व सैनिक कल्याण कार्यालय राजभवन रायपुर से प्राप्त अनुमति के तहत उसी जाति वर्ग के अन्य उम्मीदवार से भर्ती की जा सकेगी।

### **4.**

#### **उच्चतर आयु सीमा में छूट** :—

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :—

- 4 (एक) (1)— यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक छूट दी जावेगी।
- 4 (एक) (2)— छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड़ कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु

सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत् कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

**4 (एक) (3)–** ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणाम स्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण :-** छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 06 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

**4 (एक) (4)–** ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**4 (एक) (5)–** महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। जो कि उस वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

**4 (एक) (6)–** शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 06 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

**4 (एक) (7)–** विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा, महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

**4 (एक) (8)–** स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए, दी जायेगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी अधिकतम आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

**4 (एक) (9)–** संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक होगी।

**4 (एक) (10)–** शारीरिक रूप से अक्षम सेवा योग्य (दृष्टिहीन, श्रवणबाधित तथा अस्थिबाधित के उम्मीदवारों) व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

**4 (दो) (1)–** आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

**नोट :-** आयु सीमा में छूट हेतु सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

**4 (दो) (2)–** विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं प्रचलित शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मानप्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

### टीप :-

- (1) बिन्दु क्रमांक 4(एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।
- (2) बिन्दु क्रमांक 4 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम)लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिन्दु क्रमांक(एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

- उदाहरण :- यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ—साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 05 वर्ष की छूट के साथ और दी जाएगी। अन्तरराजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी।
- (3) उपरोक्त 4 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

नोट :- अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं निर्योग्यता सामान्य प्रशासन विभाग (छ.ग. शासन) द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश अनुसार भी लागू रहेगा।

### 5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :-

- (1). प्रत्येक पद के लिए पृथक—पृथक आवेदन करना होगा तथा प्रत्येक आवेदन के लिए पृथक—पृथक लिफाफा में प्रेषित करना होगा।
- (2). आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र **दिनांक—06.04.2024 की संध्या —05:00 बजे** तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखा हो, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर ४०३०० में स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये जा सकते हैं। दिनांक—06.04.2024 की संध्या—05:00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करना होगा।
- (3). आवेदन के साथ जन्मतिथि की सत्यता के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र अथवा पांचवीं/आठवीं/दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो की भी स्व—प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- (4). ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख का उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण—पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- (5). डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों के विलम्ब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जवाबदारी इस कार्यालय की नहीं होगी और इस संबंध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
- (6). ई—मेल अथवा फैक्स के माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

**6. नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया :-**

**(1) सहायक प्रोग्रामर के पद के लिए:-**

**अ. लिखित परीक्षा –**

सहायक प्रोग्रामर के पद हेतु तकनीकी ज्ञान पर आधारित लिखित परीक्षा का आयोजन किया जावेगा। परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के 1/2 अंक काटा जायेगा।

**ब.** लिखित परीक्षा की समय—सीमा 1.30 घण्टा निर्धारित है। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करेंगे, उनके प्राप्तांक की चयन सूची/मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी। चयनित उम्मीदवार की सूची के साथ—साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जायेगी।

**स.** यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उच्च आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी।

**द.** साक्षात्कार :- सहायक प्रोग्रामर के पदों हेतु रिक्त स्थानों के विरुद्ध तीन गुणा अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु पात्र होंगे। अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर उसे भी साक्षात्कार हेतु आहूत किया जावेगा। साक्षात्कार 10 अंकों का होगा।

**इ.** मेरिट सूची :- लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की दशा में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उसे प्राथमिकता दी जाएगी।

**(2) अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, हिन्दी स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड-03 के पद के लिए :-**

अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, हिन्दी स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड-03 के पद पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा का आयोजन किया जावेगा। आवेदकों की संख्या अधिक होने पर वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कर मेरिट के आधार पर एक पद पर 10 के अनुपात में आवेदकों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण हेतु बुलाया जा सकेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक मेरिट सूची में नहीं जोड़े जायेंगे।

**कौशल परीक्षा**

**(अ) अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, हिन्दी स्टेनोग्राफर के पद हेतु :-**

कौशल परीक्षा—100 अंकों की होगी। उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिन्दी श्रृतलेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्यूटर पर उबन्टू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाईप करना होगा। डिक्टेशन/श्रृतलेख की प्रत्येक त्रुटि हेतु 1/2 अंक काटा जावेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा।

**(ब) साक्ष्य लेखक (सहायता-3) के पद हेतु :-**

कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी। उम्मीदवार को 250 शब्दों के दिए गए लिखित मेटर को 10 मिनट में शुद्धता से कम्प्यूटर पर उबन्टू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाईप करना होगा। डिक्टेशन/श्रृतलेख की प्रत्येक त्रुटि हेतु 1/2 अंक काटा जावेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा।

### टीप:-

- (अ) कौशल परीक्षा में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।  
दस्तावेज परीक्षण :—स्टेनोग्राफर हिन्दी के पद हेतु अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज सहित व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी । जिसमें अभ्यर्थी के दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा ।
- (ब) साक्षात्कार :—स्टेनोग्राफर तथा सहायक ग्रेड-3 के पदों हेतु रिक्त स्थानों के विरुद्ध तीन गुणा अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु पात्र होंगे । अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर उसे भी साक्षात्कार हेतु आहूत किया जावेगा । साक्षात्कार 10 अंकों का होगा ।
- (स) मेरिट सूची :—कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी । चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की दशा में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उसे प्राथमिकता दी जाएगी ।

### 7. अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी :-

प्रत्येक आवेदक को चाहिए, कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें । यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी । त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा । उक्त पद हेतु निर्धारित योग्यता विज्ञापन तिथि तक पूर्ण होने चाहिए ।

### 8. अन्य आवश्यक सूचनाएः—

- (i). चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर (छ0ग0) को होगा ।
- (ii). जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी ।
- (iii). उपरोक्त पदों पर मेरिट सूची के साथ प्रतिक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी ।
- (iv). चयनित अभ्यर्थी को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति किया जावेगा । परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे केवल 01 वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी । इसके पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी ।
- (v). चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी ।
- (vi). आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर से होना चाहिए ।
- (vii). आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत पात्र/अपात्र तथा निरस्त किए गए आवेदन पत्रों से संबंधित उम्मीदवारों की पृथक—पृथक सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्चा कर दी जावेगी, तथा जिला एवं सत्र न्यायालय जशपुर (छ0ग0) के वेबसाईड <https://jashpur.dcourts.gov.in> पर अपलोड की जावेगी । अपात्र एवं निरस्त किए गए आवेदनों की दावा आपत्ति निर्धारित तिथि के शाम 05:00 बजे तक प्राप्त की जावेगी, तत्पश्चात् किसी भी दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

- (viii). अभ्यर्थी अपना प्रवेश प्रत्र जिला एवं सत्र न्यायालय जशपुर (छ0ग0) के वेबसाईट <https://jashpur.dcourts.gov.in> से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
- (ix). परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा की आगामी तिथि निर्धारित कर एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।
- (x). प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात् “सूचना के अधिकार अधिनियम” के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि / निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।

#### टीप :-

- पदों के संबंध में विज्ञापन/भर्ती कार्यवाही एवं रोस्टर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक-19668 / 2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।
- सा.प्र.वि.एफ 3-1 / 2016 / 1-3 दिनांक 11.01.2017 के अनुसार महिलाओं के लिये आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिये ही लागू होंगे।
- परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय जशपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
- यह नियुक्ति माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के रिट पिटिशन क्रमांक (सी) 591 / 2012, 592 / 2012, 593 / 2012 एवं 594 / 2012 माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश / निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

स्थान :- जशपुर।

दिनांक :- 04.03.2024

—सही—  
(अध्यक्ष)  
चयन समिति  
कार्यालय—जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
जशपुर (छ0ग0)

## आवेदन पत्र का प्रारूप

(सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी), स्टेनोग्राफर (हिन्दी), सहायक ग्रेड-03 के समकक्ष (साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक, नायब नाजीर, सेल अमीन, प्रतिलिपिकार, सहायक अभिलेखापाल), भृत्य, स्टेनोग्राफर हिन्दी (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला, सहायक ग्रेड-03 (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला, भृत्य (संविदा) कोर्ट मैनेजर अमला के पद पर नियुक्ति हेतु)

प्रति,

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
जशपुर, जिला—जशपुर (छ0ग0)

नवीनतम पासपोर्ट  
आकार का रंगीन  
फोटो स्व प्रमाणित  
चस्पा करें।

1. आवेदित पद का नाम : .....
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में)  
(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) : .....
3. लिंग (संकेतांक) पुरुष— 1, महिला—2, अन्य—3
4. पिता / पति का नाम : .....
5. (अ) पत्र व्यवहार का पता (हिन्दी में)  
  
(ब) स्थायी पता : .....
6. (अ) जन्म तिथि (अंकों में)  
(शब्दों में) : .....
7. (ब) दिनांक 01.01.2024 को आयु वर्ष.....माह.....दिन.....  
क्या आवेदक छ.ग. का मूल निवासी है?  
हाँ / नहीं (यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
8. अ. क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. के लिये घोषित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति।  
अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है?  
हाँ / नहीं (यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)  
यदि हाँ तो,  
ब. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अ0पि0वर्ग /  
अनारक्षित वर्ग अंकित करें।
9. अ. क्या आवेदक दिव्यांग है? हाँ / नहीं  
(यदि हाँ तो दिव्यांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)  
यदि हाँ तो,  
ब. दिव्यांगता का प्रकार व प्रतिशत : .....
10. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? हाँ / नहीं  
(यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्य प्रति संलग्न करें।)
11. रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक व दिनांक : .....
12. रोजगार कार्यालय का नाम : .....
13. क्या आप विवाहित हैं? हाँ / नहीं : .....
14. यदि विवाहित हैं, तो विवाह की तिथि : .....
15. जीवित बच्चे की संख्या : .....

16. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :—

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड का नाम	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक

17. क्या आवेदक शासकीय / अद्वृशासकीय संस्था

में सेवारत् है? हाँ / नहीं : .....

(यदि हाँ, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण—  
पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

18. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :—

- |         |         |
|---------|---------|
| 1. .... | 6. .... |
| 2. .... | 7. .... |
| 3. .... | 8. .... |
| 4. .... | 9. .... |

### घोषणा

मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है, और यदि झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी / नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी।

दिनांक .....

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान .....

नाम व पूरा पता

मोबाईल नं. एवं ईमेल

## कार्यालय— जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर, जिला— जशपुर (छ0ग0)

### प्रवेश—पत्र

परीक्षा का नाम :—      लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षा / साक्षात्कार

नवीनतम पासपोर्ट आकार का  
रंगीन फोटो स्व प्रमाणित  
चर्चा करें।

आवेदित पद का नाम :—

अभ्यर्थी का नाम :—

पिता / पति का नाम :—

वर्ग :—  
(अ.ज.जा / अ.जा. / अ.पि.व. / अनारक्षित)

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

### कार्यालयीन उपयोग हेतु

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक:—

परीक्षा केन्द्र का नाम:—

परीक्षा का दिनांक:—

परीक्षा का समय:—

अध्यक्ष / चयन समिति  
जिला न्यायालय  
जशपुर (छ0ग0)

### परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश—पत्र एवं वैध पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले पेन का ही उपयोग करें।
- परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र—शस्त्र, वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केल्क्यूलेटर, मोबाइल, लॉग टेबल, आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- प्रवेश—पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन—पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना / चर्चा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश—पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।

